राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) सांवली रोड, सीकर (राज0)

क्रमांक :लेखा/2016--17/ 4211-16 दिनांक 03.10.2016

खुली बोली (निविदा) सूचना

बोली सूचना संख्या 02/2016–17

इस कार्यालय द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जयपुर में कृषको को भ्रमण करवाने तथा अन्तर/अन्तरा राज्य कृषक भ्रमण हेतु 35 सीटर व 52 सीटर सेमी डीलक्स बस किराये पर लेने हेतु, वाहन मालिकों/ ट्रैवल एजेन्सी एवं वाहन किराये पर उपलब्ध करवाने वाली फर्मो से सीलबंद लिफाफे मे खुली बोली आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानत राशि (रू0में)	बोली शुल्क (रू0में)	बोली प्राप्त करने व खोलने की तारीख व समय
1	2	3	4	5	6
1.	ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट दिनांक 9.11.16 से 11.11.16 तथा अन्तर/अन्तरा राज्य कृषक भ्रमण हेतु वाहन किराये पर लेने हेतु	5.00 लाख	10000	200	बोली प्राप्ति दिनांक 17.10.2016 दोपहर 2.00 बजे तक, भरी हुई बोली जमा दिनांक 17.10.2016 को दोपहर 3.00 बजे तक,बोली खोलने का दिनांक 17.10.2016 को दोपहर बाद 4.00 बजे

उपरोक्तानुसार आपूर्ति की इच्छुक फर्में/व्यक्ति बोली शुल्क रू 200/– कार्यालय समय में जमा करवाकर या उक्त राशि का डीडी उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि0प0 सीकर के नाम से देय हो, प्रस्तुत कर कॉलम संख्या 6 के अनुसार दिनांक 17.10.2016 को दोपहर 2.00 बजे तक बोली प्रपत्र व शर्तें प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय में भरी हुई बोलीयो को 3.00 बजे तक जमा करवाई जा सकती है तथा प्राप्त बोलीयो उसी दिन दोपहर 4.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष इस कार्य हेतु गठित उपापन समिति के द्वारा खोली जावेगी।

बोली प्रपत्र एवं बोली की शर्तें http://sppp.raj.gov.in व कृषि विभागीय वेबसाइट http://krishi.raj.gov.in पर भी देखी अथवा डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र के साथ बोली प्रपत्र शुल्क की राशि का बैंकर चैक/डीडी बोली के साथ पृथक से जमा करवाना आवश्यक होगा।

(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जि0प0 सीकर

क्रमांक : लेखा/2016–17/ 4211-16 दिनांक 03.10.2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर को D.I.P.R की निर्धारित दर पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु मय सीडी प्रेषित है।
2. सहायक प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बोली को कृषि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/संयुक्त निदेशक कृषि (वि) सीकर खंड सीकर।
4. लेखा शाखा को http://sppp.raj.gov.in पर अपलोड हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जि0प0 सीकर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि0) जि0प0 सीकर

खुली बोली प्रारूप

1	कार्यालय का नाम	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
2	बोली सूचना सं0	02 / 2016–17 कमांक.................दिनांक 03.10.2016
3	बोली प्राधिकारी	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
4	बोली प्राप्त करने की दिनांक व समय	17.10.2016 सायं 3.00 बजे तक
5	बोली खोलने की दिनांक व समय	17.10.2016 सायं 4.00 बजे
6	बोलीदाता का विवरण	बोली दाता / प्राधिकृत व्यक्ति व फर्म का नाम पता .... दूरभाष नं0......................... मो0..............................
7	बोली शुल्क 200 रू0	रसीद / डी.डी.संख्या .... दिनांक ....
8	अमानत राशि 10000 रू0	रसीद संख्या / डीडी संख्या .... दिनांक ....
9	कार्य का विवरण	ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जयपुर में दिनांक 9 से 11 नवम्बर 2016 व वर्ष 2016–17 मे जब आवश्यकतता होने के आधार पर अन्तर / अन्तरा राज्य कृषक भ्रमण हेतु 35 सीटर(2X2) व 52सीटर(3X2) सेमी. डीलक्स बस किराये पर लेने हेतु ।
10	अनुबंध अवधि	ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जयपुर दिनांक 9 से 11 नवम्बर 2016 व वर्ष 2016–17 मे जब आवश्यकतता होने के आधार पर एवं
11	प्रस्तावित दर	संलग्न सूची के अनुसार

मैने / हमने उपनिदेशक कृषि विस्तार सीकर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई खुली बोली की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से समझ ली है, तथा मुझे / हमें बोली की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तो का मेरे / हमारें द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे मैने / हमनें हस्ताक्षर कर दियें है। मै / हम ....घोषणा करता हूॅ / करते हैं कि मैने / हमने जिस कार्य के लिए बोली दी है उसका मैं बोनाफाइड स्वामी / पंजिकृत फर्म का मालिक हूं।यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रभाव डाले बिना मेरी / हमारी प्रतिभूति / धरोहर राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद कर दिया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जि0प0सीकर

खुली बोली सं.02/2016–17 अन्तर/अन्तरा राज्य कृषक भ्रमण व ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जयपुर दिनांक 9 से 11 नवम्बर 2016 हेतु सेमी डीलक्स बस किराये पर उपलब्ध कराने हेतु बोली की शर्ते :–

नोट :– बोलीदाता को बोली फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही बोली शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए तथा बोली के साथ संलग्न करें।

1. इच्छुक बोलीदाता वाहन किराये की दर उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में जिस पर "**सेमी डीलक्स बस किराये पर उपलब्ध कराने हेतु खुली बोली**" लिखकर ही प्रस्तुत करें। खुली बोली पाये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी तथा बोली के साथ बोली के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत बयाना राशि रूपये 10000 (अर्नेस्ट मनी) जमा करानी होगी। इसके अभाव में बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. वाहन किराये(अनुबंध) हेत बोली उन्ही बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली स्वीकार की जावेगी जो राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग मे पंजिकृत है।
4. बोलीदाता को कृषक भ्रमण यात्रा के दौरान निम्न दस्तावेज वाहन के साथ मे आवश्यक रूप से रखने होगें :–
   1. वाहन पंजियन प्रमाण पत्र
   2. वाहन चालक का वैध अनुज्ञापत्र
   3. वाहन कर चुकता प्रमाण पत्र
   4. वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र
   5. वाहन का बीमा सम्बन्धी प्रमाण पत्र
   6. वाहन प्रदूषण रहित होने का प्रमाण पत्र
5. वाहन टैक्सी परमिट होकर, अच्छी कण्डीशन मे होना चाहिए।
6. वाहन Comprehensure बीमित होना चाहिए।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा बताये गए रूट चार्ट के अनुसार ही कृषक भ्रमण के दौरान वाहन को ले जाना होगा।
8. बोलीं वास्तविक वाहन मालिक/फर्म के प्रोपराईटर द्वारा ही दी जाय तथा न्यूनतम एक वाहन के पंजियन नं0 का उल्लेख प्रमाणन हेतु करना होगा।
9. वाहन किराये की दरे प्रति कि.मी.से प्रस्तावित की जावे जिसमें डीजल व अन्य व्यय सम्मलित हों।
10. वाहन के उपयोग के लिए डीजल एवं अन्य खर्चो का भुगतान वाहन मालिक(बोलीदाता) द्वारा किया जावेगा। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
11. यात्रा के दौरान वाहन की मरम्मत/नुकसान/चालान/दुर्धटनाग्रस्त आदि होने पर, इनका का व्यय मालिक द्वारा वहन किया जावेगा। इस कार्यालय का कोई दायित्व नही होगा।
12. यात्रा के दौरान वाहन चालक के खर्चे,रात्रि विश्राम व वाहन पार्किग के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
13. वाहन चालक सदाचारी हो,नशीले पदार्थो का प्रयोग नही करता हो व व्यवहार कुशल रूप मे उपस्थित हो।
14. वाहन संचालन पर किमी की गणना प्रारम्भिक रिर्पोटिग स्थान से वापस यात्रा समाप्ति पर उसी स्थान तक की जावेगी तथा लॉग बुक का संधारण किया जाकर भ्रमण प्रभारी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।
15. **किराया कि.मी.(जिसमें डीजल व अन्य व्यय सम्मलित हैं) व अन्य राज्यों के वास्तविक कर के अलावा अन्य कोई भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा ।**
16. बोली फार्म पेन/बॉल पेन से अथवा टंकण से भरा ही प्रस्तुत किया जावे। पेन्सिल से भरा हुआ बोली फार्म स्वीकृत नहीं किया जावेगा।बोली के प्रत्येक पेज पर शर्तो एवं समझौतों पर सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
17. बोलीदाता को अपनी दरें अंको एवं शब्दों में साफ–साफ लिखा जाना चाहिए।इनमें कोई त्रुटियां/अपरिलेखन नहीं होना चाहिए/अशुद्धियां होने पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
18. बोली मे बोलीदाता द्वारा लगाई गई शर्ते मान्य नही होगी।

वाहन (सेमी डीलक्स बस) किराये हेतु प्रस्तावित दरें :-

बस का प्रकार	वाहन का रजिस्ट्रेशन संख्या	दर प्रति किलोमीटर सभी खर्चो (डीजल/ऑयल) सहित (अन्य राज्यों के वास्तिविक कर को सम्मिलित नही किया गया हैं।)
2 X 2 35 सीटर सेमीडीलक्स बस		अंको मे... शब्दो मे..
3 X 2 52 सीटर सेमीडीलक्स बस		अंको मे... शब्दो मे..

बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता
____

____

फोन नं. ....
मोबाइल नं.....................................